राज्य द्वारा एडीपीओ।

4 अभियुक्त सहित अधिवक्ता श्री राकेशवंद गु फरियादी कैलाश स्वयं उपस्थित। संबंधित न्यायालय से मीडिएशन सफलता

12/16

सूवना प्राप्त, जो संलग्न 45 निया

उनके 320 गया फरियादी कैलाश की ओर से एक राजीनामा आवेदन पत्र अतर्गत धारा द०प्र0स0 राजीनामा हेतु अनुमति बाबत् मय राजीनामा हेतु अनुमति आवेदन अतर्गत धारा 320–2 फरियादी के हस्ताक्षर, छायाचित्र युक्त प्रस्तुत किया फरियादी की पहचान अधिवक्ता श्री राजीव शुक्ला एव अभियुक्त की पहचान अधिवक्ता श्री राकेशचंद गुप्ता द्वारा की गई।

उभयपक्षों को सुना प्रकरण का अवलोकन किया। फरियादी ने अभियुक्त से राजीनामा बिना किसी भय, दवाब, लोभ—लालच के पारस्परिक संबंधों को मधुर रखने के आशय से किया जाना प्रकट किया है। फरियादी संविदा समर्थ होकर अपनी स्वतंत्र सहमति देने में समर्थ दर्शित हैं। राजीनामा के संबंध में फरियादी कैलाश शर्मी का कथन अंकित किया गया।

आवेदन शमनीय है। ये रखने के रखते हुये राजीनामा अनुमित 15 सामाजिक शांति बनाये 40 下 325, 506 अनुमिति 3, 325, की अनुग अभियुक्त पर भाठद०वि० की धारा 294, 323, दण्डनीय अपराध का अभियोग है जो कि न्यायालय के पक्षकारों के मधुर संबध रखने के आशय एवं सामाजि आपराधिक प्रशासन के उददेश्य को ध्यान मे रखते हुये स्वीकार किया जाना न्यायोचित दर्शित होता है। 323,

बधपत्र भारमुक्त किए जाते है। जिसका प्रभाव तस्दीक मय आवेदन पत्र के स्वीकार किया जाता है। जाती है भाठद०वि० के 部 प्रदान अभियुक्त को धारा 294, 323, 325, 506 बी भा0न् राजीनामा के आधार पर उपशमन की अनुमति प्रदान अभियुक्त की दोषमुक्ति होगा। अभियुक्त के प्रतिभूति व अतः राजीनामा बाद

प्रकरण का परिणाम दर्जकर अभिलेखागार भेजा जावे। प्रकरण में कोई संपत्ति जब्त नहीं।

Judiciah Magnetate First Class Gohad, distti Bhind (M.P.)

(A.K. Gupta)

かいか